

2025/732
 फर्द अहकाम
 (नियम 15)

निर्णय
 23. 9. 2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
 भानीराम बनाम रूपराम आदि
 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 502 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
09.09.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.09.2025 को पेश हो।	
10.9.2025	वकील मुकदमा ने पत्रावली - पत्र मित्राल येकी पेश करने पर पत्रावली को येकी के लिखा गया कुलार फरिखेन उपरिखता की कपुतबली नर 193 ने इजिस्ट अदाखत अन्तर शीकीनामा पेश किया जिसे काउ लखीक शीकील फार्मिल डिफा गया पत्रावली कोले सेर जकाफ शारीका शीकी 19.9.2025 को पेश हो।	967 वाी डे भानीराम रूपराम कामलेश का निर्यात Issued of myung
19.9.2025	कुलार फरिखेन उपरिखता/PU मुकदमा येकी. कपुतबली है। पत्रावली पेश की। तारीख 19.9.2025 दिनांक 23. 9. 2024 को पेश के 7	
25.9.2025	कुलार फरिखेन उपरिखता सेर जकाफ पत्रावली उभा बहस सुनी गयी पत्रावली का अन्वको कले डिफा गया पत्रावली पर उपलव्य डिफाई कारी व वकील मुकदमा के शीकीनामा से आबाए पर काउ की डिफा डिफा आला है। पूर्ण निबल सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शीकील फार्मिल डिफा जकी पत्रावली नम्बर से अन्तर शीकीनामा काउ लखीक लकनील आबाए शीकील फरिखेन हो।	

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 रावतसर

